GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 168

TO BE ANSWERED ON THE 7TH AUGUST, 2024/ SRAVANA 16, 1946 (SAKA)

COASTAL SECURITY SCHEME

***168 SHRI ASHOKRAO SHANKARRAO CHAVAN:**

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the present status of demand made by the State Government of Maharashtra for 14 boats for coastal surveillance under Coastal Security Scheme (CSS);

(b) whether Government has approved it;

(c) if so, the details thereof and the reasons for not providing the same to State Government authorities;

(d) whether State Government of Maharashtra has sought more boats under phase 2 and phase 3 of CSS; and

(e) if so, the details thereof and the response of Government thereto?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI NITYANAND RAI)

(a) to (e): A statement is laid on the table of the House.

R.S.S.Q.NO. *168 FOR 07.08.2024

STAEMENT IN REPLY TO PARTS (A) TO (E) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *168 FOR ANSWER ON 07.08.2024.

(a) to (e): Under the Coastal Security Scheme Phase-I, Maharashtra has been sanctioned 28 boats in consultation with the State Government. However, proposal for further procurement of boats under Coastal Security Scheme phase-II was not considered during the extension of the scheme. The Coastal Security Scheme Phase-II concluded in the year 2020 and is presently not under implementation.

******

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 168
दिनांक 7 अगस्त, 2024 / 16 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

तटीय सुरक्षा योजना

***168 श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) के अंतर्गत तटीय निगरानी के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा की गई 14 नौकाओं की मांग के संबंध वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों को उक्त नौकाएं उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं;
(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सीएसएस के चरण 2 और चरण 3 के अंतर्गत और अधिक नौकाओं की मांग की है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 07.08.2024 के राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या *168 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): तटीय सुरक्षा योजना चरण-I के अंतर्गत, महाराष्ट्र को राज्य सरकार के परामर्श से 28 नौकाएं स्वीकृत की गई हैं। तथापि, तटीय सुरक्षा योजना चरण -II के अंतर्गत, और नौकाओं की खरीद के प्रस्ताव पर योजना के विस्तार के दौरान विचार नहीं किया गया। तटीय सुरक्षा योजना चरण-II वर्ष 2020 में समाप्त हो गई और वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन नहीं है।

******

MR. CHAIRMAN: First supplementary; Shri Ashokrao Shankarrao Chavan.

SHRI ASHOKRAO SHANKARRAO CHAVAN: Hon. Chairman, Sir, this is a very important question relating to internal security of our country and, definitely, our fight against terrorism. We cannot forget the 26/11 tragedy that struck our country when our financial capital, Mumbai, was attacked by terrorists, and this attack was sponsored by none other than our neighbour, Pakistan. That dastardly terrorist attack was planned across the border and executed here on our soil. The terrorists attacked Mumbai, everybody knows that after the investigations came out, through the sea route. In the aftermath of that terrorist attack, it was decided that maritime security of our country would be enhanced, continuous vigilance and patrolling of our sea coast, modernization of State Police, Coastal Police and Coast Guard would be given the priority.

MR. CHAIRMAN: Ask your supplementary.

SHRI ASHOKRAO SHANKARRAO CHAVAN: I am just coming to that. Chairman, Sir, the answer given in today's question is rather more technical than more specific, as I had requested, because it says that 28 boats have been given to the State Government in phase-1.

MR. CHAIRMAN: Your supplementary, please.

SHRI ASHOKRAO SHANKARRAO CHAVAN: Chairman, Sir, the State Government has sent a proposal, whereas the answer is that in phase-2 there is no provision, or, it has been concluded that there is no question of implementing the phase-2. The Government of Maharashtra has sent a proposal and in order to enhance the maritime security under the Coastal Security Scheme, additional boats have been demanded long time ago. I would urge upon the Minister that in view of the threat to the coastal States, especially Mumbai, where we had seen 26/11 attacks and threats, and similar threat perception exists in other States also, whether the hon. Minister would consider, irrespective of phase-2 or phase-3, whatever it is, to give the highest priority to Mumbai and sanction the additional boats which have been demanded by the State Government and see to it that they are made available to the State Government so that this proposal is given the highest priority.

श्री नित्यानन्द राय : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि 26/11 का वह आतंकवादी हमला, जो मुम्बई में हुआ था, वास्तव में वह काफी दुखद था और वह हम सब लोगों के लिए सावधान होने तथा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बड़ा सबक भी था। 2014 में माननीय प्रधान मंत्री जी के शपथ ग्रहण के साथ ही तटीय सुरक्षा को हम सुनिश्चित करें, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन माननीय सदस्य के द्वारा मुम्बई, महाराष्ट्र के संदर्भ में जो कहा गया, उस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि सीएसएस योजना चरण के दौरान जो भी संपत्तियाँ तथा उनके साथ जो नौकाएँ राज्यों को दी गई थीं, उनके संबंध में एक समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्यों द्वारा नौकाओं का समुचित उपयोग, तकनीकी जनशक्ति की कमी के कारण तथा समुद्री यात्रा क्षमता के अभाव और रखरखाव के अभाव में नहीं हो पा रहा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र राज्य के लिए जो प्रस्तावित 14 नौकाएँ थीं और उसके साथ-साथ अन्य राज्यों तथा यूटीज़ के लिए भी 225 नौकाएँ थीं, उन नौकाओं की खरीद की आवश्यकता तत्काल नहीं है और यह इस निर्णय के साथ आगे बढ़ा। महोदय, मैं इस सदन को, इस देश को और माननीय सदस्य को स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि समग्र तटीय सुरक्षा के लिए एक अंतरमंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। उसकी तीन बैठकें हो चुकी हैं और सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है। यह समिति बहुत ही तत्परता के साथ इस पर विचार कर रही है। इस समिति के अंतर्गत ये सारे तथ्य विचाराधीन हैं और स्टेकहोल्डर्स के साथ बहुत मुस्तैदी से परामर्श किया जा रहा है। इस तरह, तटीय सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary - Shri Ashokrao Shankarrao Chavan.

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि मामला बहुत गंभीर है। स्टेट के पास अगर adequate training वाला issue है, तो यह कोई सीरियस issue नहीं है, वहां पर State impart कर सकती है, पर अचानक कोई घटना घटे और हमारे पास availability of boats न हो, तो यह coastal area का issue है। इसलिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले इसको top priority दी जाए, क्योंकि training तो State Government conduct कर सकती है।

MR. CHAIRMAN: Please ask your second supplementary.

SHRI ASHOKRAO SHANKARRAO CHAVAN: Sir, the Ministry of Home Affairs provides financial assistance for weapons and equipments under the scheme for modernisation of State Police force. In the modernisation of State police, the Government of India gives a lot of money to various States. How much assistance has been asked for and provided to the Maharashtra Government by the Ministry of Home Affairs? Would the MHA enhance and ensure timely disbursement of funds which have been allotted to Maharashtra?

श्री नित्यानन्द रायः महोदय, जो प्रशिक्षण की चिंता व्यक्त की गई है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने तटीय सुरक्षा के संदर्भ में गुजरात के ओखा में एक प्रशिक्षण अकादमी को 441 करोड़ के प्रावधान के साथ प्रारंभ किया है और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। जहां तक वित्तीय सहायता की बात है, तो मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। वैसे, अगर देश के संदर्भ में भी जानने के लिए उनके मन में कोई विचार आता है, तो मैं बताऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र के लिए भी 19 तटीय पुलिस स्टेशंस और 32 Check Posts स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ-साथ, 28 नावें, 32 जीप्स और 71 मोटरसाइकिल्स उपलब्ध कराई गई हैं। सर, इन सब में पैसे लगते ही हैं। 14 jetties के उन्नयन के लिए 64 करोड़, 58 लाख रुपये अतिरिक्त धनराशि महाराष्ट्र को दी गई है। 24x7 निगरानी के लिए 5 radar stations, 1 remote operation station, एक क्षेत्रीय परिचालन केंद्र स्थापित किए गए हैं और कई radar stations बनाए जा रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त गश्त भी की जा रही है। 820 सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पूरी तट रक्षा का डिजिटल मानचित्रण कर Incident Management तथा संपत्ति प्रबंधन द्वारा प्रतिक्रियाएं भी बेहतर की जा रही हैं। Coastal Police की ट्रेनिंग की भी समुचित व्यवस्था की गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा तटीय निगरानी नेटवर्क तथा राष्ट्रीय समुद्री domain जागरुकता परियोजना का क्रियान्वयन भी हो रहा है। इस तरह, हम राज्यों को इस प्रकार से निश्चित रूप से सहयोग कर रहे हैं।

महोदय, माननीय सदस्य यह चिंता कर रहे थे कि यह एक बड़ा विषय है। अगर आपकी अनुमति होगी, तो इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, मैं बता सकता हूँ। महोदय, क्षमता वृद्धि - 58 चौकियों के साथ-साथ, 204 समुद्री पुलिस स्टेशंस स्थापित किए गए हैं। सर, हमारा 11,000 किमी की जो कोस्ट लाइन है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि 800 से अधिक वाहन दिए गए हैं। हमने प्रशिक्षण के विषय में बताया कि 441 करोड़ रुपये का प्रावधान कर प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। निर्बाध संचार प्रणाली व्यवस्था की compliance की मंजूरी प्रदान की गई है।महोदय, यह समुद्री रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारे जो गैप्स होते हैं या सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें हम technology network को स्थापित करके उसे सुदृढ़ बनाते हैं। महोदय, संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया की गई है और उसमें 204 ...(**व्यवधान**)... नौकाओं की क्षमता 12 टन की और 5 टन की उपलब्ध करा चुके हैं। साथ ही अपने तटों की रक्षा की और समुद्री सीमाओं की त्रिस्तरीय सुरक्षा में नेवी बहुत ही संसाधन सम्पन्न हो कर - अभी जितने अविष्कार और निर्माण अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और उनके vision में उठाए हैं, उसके साथ कोस्ट गार्ड को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। कोस्ट गार्ड को नौका के साथ-साथ जो जहाज़ दे रहे हैं, उस पर हैलीकॉप्टर से लेकर हम किसी दुश्मन के या वैसे- कोई बाहरी तत्व, जो राष्ट्र विरोधी है, वह आए तो उससे हम निपट सकें, इतना सक्षम बनाया गया है। साथ ही जो मरीन पुलिस है, जो राज्य देखते हैं, हम राज्यों के लिए भी आग्रह करते हैं और मरीन पुलिस के लिए भी यहां से कुछ मदों में हम सहयोग उपलब्ध कराते हैं। हम हर प्रकार से त्रिस्तरीय तटीय सुरक्षा में समग्रता लाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संकल्पित हैं।

MR. CHAIRMAN: Supplementary Number three. Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, we have five Coast Guard Regions, namely, Gandhi Nagar, Mumbai, Chennai, Kolkata and Port Blair. Kochi-Ponnani region in Kerala must be declared as a Coast Guard Region. I would like to know from the hon. Minister as to what prevents the Government from declaring the Kochi-Ponnani region as the Coast Guard Region. It is especially required in view of the increasing challenges to the South Indian ports.

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, अंतरराष्ट्रीय जहाज़ और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा के जो कोड बने हैं, उनके अंतर्गत हम निर्धारण करते हैं, लेकिन भारत में अभी प्रमुख बंदरगाह 12 हैं और 239 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। तो एक सिस्टम के तहत हम बंदरगाह या समुद्री तट को किसी भी रूप में रेखांकित करने के लिए जो नियम बने हैं और जो उसके रूल्स हैं, उनके हिसाब से हम विचार करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Supplementary Number four. Shri Milind Deora.

श्री मिलिंद मुरली देवड़ा: सर, मुम्बई और भारत 26-11-2008 को कभी नहीं भूल सकते हैं। पिछले 13 वर्षों में मुम्बई में कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, इसका श्रेय मैं Coastal Security Scheme जैसी योजनाओं को देना चाहूंगा। But, Sir, we have to keep in mind the growing instability in our immediate neighbourhood and the fact that India has a 7,500 kilometre coastline. Hon. Member of Parliament before me has asked a question about Kerala. Many States have large capitals that can be soft targets for terrorists. My question to the hon. Minister is whether the Government of India is working with coastal States that are potentially vulnerable and the coastal wings of their police, not only to give funds and equipments but also to conduct joint drills and joint exercises to make them ready for the future.

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व भारत को लक्षित करने की कोशिश करता है, तो वह हमारे लक्ष्य से बाहर नहीं जा सकता है। हम उसको मुंह तोड़ जवाब ही नहीं देते, बल्कि उसको नष्ट भी करते हैं। महोदय, 13 वर्षों में निश्चित रूप से - चाहे वह hinterland हो, चाहे समुद्री क्षेत्र हो, चाहे हमारी भूमि की सीमाएं हों, उस पर जो सैन्य शक्ति बढ़ी है और सरकार ने 10 वर्षो में अपनी सुरक्षा की नीति अपनाई है, उसका परिणाम है। महोदय, हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, जैसा कि पहले भी बताया है कि ओखा में हम लोगों ने जो Academy स्थापित की है और हम लोग joint coastal exercise भी करते हैं। जिसमें सभी राज्यों की marine police होती है, Coast Guard होती है और नेवी की भी उसमें भूमिका होती है। इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज़ के

साथ-साथ कोर्डिनेशन की व्यवस्था भी की है कि हम किस प्रकार से, जिसके पास जो संसाधन हैं और जिसके जो-जो अधिकार क्षेत्र हैं, जो राज्यों के अधिकार में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आते हैं, हम उसके साथ कोर्डिनेशन करके सभी संसाधनों का उपयोग करते हैं और तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Fifth Supplementary; Shrimati Rajani Ashokrao Patil.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि गवर्नमेंट कौन-सी ऐसी व्यवस्था बना रही है कि जो इस तरह से अटैक होते हैं, चाहे वह सूनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर हो या टेरेरिस्ट अटैक हो, जैसे 26.11.2008 में मुंबई में हुआ। गवर्नमेंट कौन-से स्टेप्स ले रही है, जो लाइवलीहुड और जो हमारी लाइफ जाती है, जानें जाती हैं, जीव की हानि होती है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है?

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि आप सुरक्षा के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? माननीय सदस्या का प्रश्न यह है कि इसमें जो आहत होते हैं या जान गंवाते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री नित्यानंद राय: महोदय, एक तो आपदा के संबंध में और सिक्योरिटी के संबंध में अलग-अलग दो सेक्टर्स हैं। हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए हो या फिर सीमा की सुरक्षा के लिए हो, जो हमारे जवान शहीद होते हैं, उनके लिए हम पहले की अपेक्षा हर प्रकार से उनको सम्मान, उनके परिवार को सम्मान के साथ-साथ उनको बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाते हैं और यह एक राशि के रूप में देखा जाए, तो बहुत बड़ी राशि होती है। आपदा प्रबंधन, राज्य का सब्जेक्ट है, फिर भी हम लोग अपनी जिम्मेवारी से भागते नहीं हैं और हमारे यहां NDRF और SDRF फंड का प्रावधान किया गया है। यह फंड इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आसन का आदेश हुआ है, तो हम राज्यों को पहले ही फंड उपलब्ध करा देते हैं, जो केन्द्र का शेयर होता है, ताकि आपदा की स्थिति में वह किसी भी क्षण उसका उपयोग करें। उसके जो norms हैं, उसके हिसाब से आपदा की स्थिति में जान-माल का जो नुकसान होता है या जो प्रावधान के अंतर्गत आता है, उसको वह फायदा पहुंचा सके। ऐसी घटना तो दुखद होती ही हैं, फिर भी अगर घटनाएं घटती हैं, तो उसके लिए सरकार ने इस प्रकार का प्रावधान किया है। दूसरा, NDRF से सहयोग करते हैं। कुछ उस प्रकार की स्थिति आती है, तो सेना लगती है, NDRF लगती है और SDRF भी होती है। हम सब मिलकर आपदाओं का प्रबंधन भी करते हैं और सरकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तत्पर है और जो नुकसान होता है, उसके लिए पहले तो राज्यों की डिमांड होती थी, तब यहां से टीम जाती थी, लेकिन अब तो राज्य डिमांड नहीं भी करते हैं, हम टीम भेज देते हैं और हम उसकी समीक्षा करते हैं और जितना होता है, केन्द्र सरकार सहयोग करती है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 169.